26.12.18

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट के खेत की पत्थरगढी करने के आदेश दे दिये। जबकि अपीलान्टस रेस्पोडेन्टस के सहखातेदार है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 मे निर्धारित प्रक्रिया के विपरित होने से उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 15/2018 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.2.2018 का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, शिव को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्ट की राजस्व रेकर्ड मे दर्ज भूमि को प्रभावित किये बिना सभी पक्षकारों की मौजूदगी मे राज्य सरकार द्वारा खडी फसल मे पत्थरगढी नही करने बाबत जारी दिशानिर्दश की पालना करते हुए रेस्पोडेन्ट के खेत की पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चत करें। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर